

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-13-3-19

विषय:- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक, कार्यालय एवं अन्य मद में व्यय करने के लिए 776.00 लाख रू0 (सात करोड़ छिहत्तर लाख रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन की स्वीकृति।

स्वीकृत्यादेश 155 सं0- दिनांक-13.3.19 के आलोक में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का राज्य में कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक, कार्यालय एवं अन्य मद में व्यय करने हेतु 776.00 लाख रू0 (सात करोड़ छिहत्तर लाख रू0 मात्र) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-FN0-K-16011/45/2017/AMRUT-II दिनांक-17.01.2019 द्वारा विमुक्त किया गया है। इसके आलोक में 776.00 लाख रू0 (सात करोड़ छिहत्तर लाख रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि 776.00 लाख रू0 (सात करोड़ छिहत्तर लाख रू0 मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो राशि आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 एवं पत्रांक-7085 दिनांक-19.09.2018 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

✓

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. स्वीकृत राशि रू0 776.00 लाख (सात करोड़ छिहत्तर लाख रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051- निर्माण, उप शीर्ष-0202-शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT), विपत्र कोड - 48-2217030510202, PFMS कोड-9556, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0202.31.05-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि 48000.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।
7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016

दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016

115

दिनांक- 13.03.19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक, कार्यालय एवं अन्य मद में व्यय करने के लिए 776.00 लाख रू0 (सात करोड़ छिहत्तर लाख रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का राज्य में कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक, कार्यालय एवं अन्य मद में व्यय करने हेतु 776.00 लाख रू0 (सात करोड़ छिहत्तर लाख रू0 मात्र) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-F N0- K-16011/45/2017/AMRUT-II दिनांक-17.01.2019 द्वारा विमुक्त किया गया है। इसके आलोक में 776.00 लाख रू0 (सात करोड़ छिहत्तर लाख रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि 776.00 लाख रू0 (सात करोड़ छिहत्तर लाख रू0 मात्र) की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो राशि आवश्यकतानुसार नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक-354 दिनांक-28.03.2018 एवं पत्रांक-7085 दिनांक-19.09.2018 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. स्वीकृत राशि रू0 776.00 लाख (सात करोड़ छिहत्तर लाख रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-051- निर्माण, उप शीर्ष-0202-शहरी पुनर्नवीकरण मिशन-अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT), विपत्र कोड - 48-2217030510202, PFMS कोड-9556, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0202.31.05-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि 48000.00 लाख रू0 में से विकलनीय होगा।
7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0-147/टि0 पर दिनांक-12.03.19 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0-147/टि0 पर दिनांक-12.03.19 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016

दिनांक-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016

155

दिनांक-12.03.19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।